विशेष न्यायालय, भिण्ड मध्यप्रदेश <u>अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्या०निवा०)अधि०, 1989</u> (समक्ष—योगेश कुमार गुप्ता)

विशेष सत्र प्रकरण कमांक—55 / 2017 संस्थापन दिनांक—24.05.2017 फाइलिंग नंबर—SCATR/2584/17

मध्यप्रदेश शासन की ओर से आरक्षी केन्द्र सुरपुरा, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

----<u>अभियोजन</u>

🚫 । बनाम ।।

- 1. अमनसिंह पुत्र ध्रुवसिंह भदौरिया, आयु—21 वर्ष,
- 2. 🔏 रिपुदमन पुत्र कालिकासिंह भदौरिया, आयु—38 वर्ष,
- 3. लल्लासिंह पुत्र उदयभानसिंह भदौरिया, आयु—20 वर्ष,
- 4. ध्रुवसिंह पुत्र वेसबहादुरसिंह भदौरिया, आयु—60 वर्ष, निवासीगण—ग्राम हमीरपुरा, थाना—सुरपुरा, जिला—भिण्ड,म0प्र0.
- 5. रोहितसिंह पुत्र लखपतसिंह भदौरिया(फरार) निवासी—ग्राम हमीरपुरा, थाना—सुरपुरा, जिला—भिण्ड, म०प्र० —— फरार अभियुक्त

XC 3

ः <u>आदेश धारा 232(1)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत</u>ः (आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को पारित)

- 1. अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 147, 148, 325 विकल्प में 325 सहपित धारा 149, 323चार काउण्ट विकल्प में 323 सहपित धारा 149चार काउण्ट तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(दस) तथा अभियुक्त अमन पर उपरोक्त आरोप के अतिरिक्त भादिव की धारा 354 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ग्यारह) के अर्न्तगत आरोप लगाये जाकर विचारण किया गया है।
- अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा0दं0िव0 की धारा 147, 148,
 विकल्प में 325 सहपिठत धारा 149, 323चार काउण्ट विकल्प में 323 सहपिठत धारा
 विकल्प काउण्ट का आरोप राजीनामा योग्य होने से दोषमुक्त किया गया। आरोपी अमन

के विरूद्ध धारा 354 भादिव एवं धारा 3(1)(11) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अमन सिहत सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3(1)(दस) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अर्न्तगत विचारण जारी रहा है।

- 3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 16.9.15 को ग्राम दतावली में अभियोगी जयश्रीराम अपनी लडकी पीडिता अ0सा02 के साथ जा रहा था तब अभियुक्तगण रास्ता में मिले थे व अभियुक्तगण ने पूजा का हाथ पकडा था और जातिगत गालियां चमिरया कहकर कहा था कि दौड में बराबरी करती है। अभियुक्तगण ने जयश्रीराम के साथ मारपीट की थी, उन लोगों को बचाने के लिए देवेन्द्र, प्रदीप और टिंकू आए तो उनके साथ भी आरोपीगण ने लाठीडंडा से मारपीट की। घटना के दिन की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 थाना सुरपुरा में दी थी जिसपर प्रदर्श पी—2 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और अभियोगी पक्ष का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अन्वेषण की अन्य औपचारिक कार्यवाही के पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णण की कंडिका—1 के अनुसार आरोप लगाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया और अपनी प्रतिरक्षा में यह कथन दिया है कि उसे झूंटा फंसाया गया है।
- 5. निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि
 - 1. क्या अभियोगी जयश्रीराम अ.सा.1, पीडिता अ०सा०२ अनुसूचित जाति के सदस्य है और आरोपीगण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी अमन द्वारा पीडिता का हाथ पकडकर उसकी लज्जाभंग करने का प्रयास किया था।
 - 3. क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियोगी जयश्रीराम और पीडिता अ0सा02 को लोकदृष्टिगोचर स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा जातिगत आधार पर अपमानित एवं अभित्रस्त करने के लिये मां बहिन की अश्लील गालियों और जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया गया था ?
 - 4. क्या पीडिता के अनु.जाति के सदस्य होने के जातिगत आधार पर अभियुक्त अमन द्वारा उसकी लज्जाभंग करने का प्रयास किया गया था।

ः <u>विचारणीय प्रश्न कमांक-1 एवं 4</u>ः

उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने से उनका

निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 6. अभियोगी जयश्रीराम अ०सा०1 और पीडिता अ०सा०2 ने शपथ पर कथन दिया है कि वे अनु.जाति जाटव समाज का सदस्य है, जयश्रीराम ने पुलिस को अपना जातिप्रमाण पत्र प्रदर्श पी—3 और पीडिता ने अपना जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी—5 दिया है। प्रदर्श पी—3 एवं 5 का जातिप्रमाण फोटोप्रति में प्रस्तुत है जिसे समक्ष अनुविभागीय अधिकारी अटेर का अभिलेख बुलाया जाकर प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि अभियोगी जयश्रीराम और पीडिता अनु.जाति जाटव समाज के सदस्य हैं। परंतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण भदौरिया ठाकुर जाति के होकर अनु.जाति / अनु.ज.जा. के सदस्य नहीं हैं।
- पीडिता अ0सा02 ने शपथ पर कथन दिया है कि घटना के समय वह सडक पर दौड रही थी अभियुक्तगण का उससे विवाद हो गया था उसे गिरने से चोट आई थी। इस प्रकार पीडिता द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। पीडिता के पिता जयश्रीराम अ०सा०१ ने शपथ पर कथन दिया है कि घटना के समय सडक पर दौड लगाने से अभियुक्तगण से विवाद हो गया था उसे गिरने से चोट आई थी। उसने थाना में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लेख करायी थी। देवेन्द्र जाटव अ0सा03, प्रदीप जाटव अ0सा04 एवं टिंकू जाटव अ0सा105 ने भी यही कथन दिया है कि सडक पर दौडने को लेकर विवाद हुआ था और उन्हें गिरने से चोट आई थी। इस प्रकार सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। सभी साक्षियों को पक्ष विरोधी को घोषित किए जाने के लिए न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे गए हैं। साक्षी जयश्रीराम ने अपना पुलिस बयान प्रदर्श पी-4, पीडिता ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-6, देवेन्द्र ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-9, प्रदीप ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 एवं टिंकू ने पुलिस बयान प्रदर्श पी-13 दिया जाना अस्वीकार किया है। साक्षियों ने अपने-अपने पुलिस बयान में सुसंगत घटना देखा जाना बताया है इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी साक्षी पक्ष विरोधी है और उनके कथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। अभियोजन द्वारा अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 8. पूर्वगामी कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन का मामला

4 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक—55 / 17

अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्त अमन को आरोपित अपराध 354 भादिब एवं अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10), 3(1)(11) के आरोप से तथा अन्य अभियुक्तगण को अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(10) के आरोपी से दोषमुक्त किया जाता है।

9. प्रकरण में अभियुक्त रोहितसिंह भदौरिया फरार है, अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित की जावे।

स्थान— भिण्ड, दिनांक— 23 मार्च, 2018

(योगेश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश, भिण्ड म.प्र.

ALIMAN AREA AREA AREA SHILL SH